

प्रमाणित प्रतिलिपि
 दिनांक 08.01.2017
 1913 / 2-10-2017

श्रीमती अमिता,
 निर्माण खण्ड, कोलॉनी
 रानाखेत।

विषय - एनपीवी की नवी वरी के अनुसार जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में।
 संदर्भ - प्रमुख वन संरक्षक (वन) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1247/F.O. दिनांक 08.08.2022।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति 08.01.2017 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, न एनपीवी की नवी वरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में आपके द्वारा एनपीवी की नवी वरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके तहत आपके द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है। आपके द्वारा निम्नानुसार एनपीवी की राशि जमा किये जाने व पूर्ण अनुपालन आख्या को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकरण में पूर्व में एनपीवी की धनराशि जमा कर दी गयी है तो उसकी रसीद संलग्न करें और अतिरिक्त धनराशि ही जमा कराये। इसके अतिरिक्त यदि आपके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है तो पूर्ण धनराशि एनपीवी की नवी वरी के अनुसार ही जमा की जायेगी।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	एनपीवी की जमा धनराशि	एनपीवी की नवी वरी के अनुसार धनराशि	जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	2986/2024	Extension of Kunnigard Hiruli Bazar Motor Road Upto Rampur Chaukhutiya	1140750	1745347	604597

Handwritten Signature
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- अपर, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

Handwritten Signature
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।